न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 1/2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.मदनलाल पुत्र सुखराजजी 2.विकम पुत्र सुखराजजी जरिये मुख्त्यारग्रहिता मदनलाल जातियान् जैन ओसवाल, निवासीगण कोमता, तहसील सायला,जिला जालोर हाल–गढसिवाना, तहसील सिवाना,जिला बाडमेर (राज.)		1.दिनेशसिंह पुत्र वरदसिंह,जाति राजपूत,निवासी पांथेडी,तहसील सायला 2.मनोहरमल पुत्र घेवरचंन्द, निवासी कोमता हाल–मधुबन गारमेन्ट,एम.जी.रोड ,हावेरी पिन–581110(कर्नाटक) 3.बबीतादेवी पुत्री घेवरचन्द,पत्नि पंकज भंसाली,अरिहन्त नोवल्टीज, गुर्जर बस्ती रोड,तहसील व जिला गदग, पिन–582101(कर्नाटक) 4.गीता देवी पुत्री घेवरचन्द पत्नि भरतकुमार मुथा, जवाहर हेण्डलूम, मैनरोड, तहसील व जिला कोपल, पिन 583231(कर्नाटक) 5.जमना देवी पत्नि घेंवरचन्द समस्त जातियान् जैन,निवासी कोमता,तहसील सायला हाल–मधुबन गारमेन्ट,एम.जी.रोड, हावेरी–581110(कर्नाटक) 6.तहसीलदार सायला

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार सायला दिनांक 5.9.2017(ना.क.सं.896)

उपस्थिति :–
1.श्री सवाराम चौधरी व श्री जितेन्द्रकुमार ,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री सिकन्दर अली,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट्स सं. 1से 5 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 25.4.2018

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पांथेडी के वर्तमान खसरा नम्बर 437 रकबा 0.52 हेक्टर में बछराज, जुगराज पिसरान् छोगाजी जैन के नाम व खसरा नम्बर 389,390 व 391

कुल रकबा 4.73 हेक्टर में से 1/2 हिस्सा बछराज पुत्र छोगाजी जैन के नाम एवं शेष 1/2 हिस्सा सहखातेदारान् के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। बछराज व जुगराज दोनो सगे भाई थे एवं अविवाहित थे जिनका पूर्व में देहान्त हो चुका है, जिनके दो बहिने हेमीबाई व ढेलीबाई थी जिनकी वंशावली इस प्रकार है , छोगालाल के (1)पुत्र–बछराज(अविवाहित फौत), (2)पुत्र– जुगराज(अविवाहित फौत), (3)पुत्री–हेमीबाई पत्नि हंजारीमल (फौत), (4)पुत्री–ढेलीबाई(फौत) तथा 3–हेमीबाई पत्नि हंजारीमल के 5 पुत्र क्रमशः घेवरचंद,सुखराज,बाबूलाल,सांकलचंद,किशोरमल है, घेवरचंद के वारिसान् में पुत्र–मनोहरमल, पत्नि–जमनादेवी, पुत्री–गीतादेवी, पुत्री–बबीतादेवी है। वंशावली के अनुसार बछराज व जुगराज के दो सगी बहिने थी जिसकी शादी हंजारीमल के साथ हुई थी, हेमीबाई के 5 पुत्र थे परन्तु मनोहरमल द्वारा बछराज की सम्पति पर गलत तरीके से अधिपत्य जमाने के इरादे को लेकर गलत शपथपत्र ग्राम पंचायत पांथेडी मे पेश किये जिसके आधार पर म्युटेशन स्वीकृत हुआ है जो पूर्णतया अन्यायोचित है। मनोहरमल ने हेमीबाई के सभी लडकों के नाम छुपाये तथा अपने शपथपत्र में स्वयं के पिता घेवरचंद के सभी भाईयों के नाम नही दर्शाये जो कि हेमीबाई के हिस्से मे बराबर के हकदार थे। स्वर्गीय बछराज के अन्तिम समय तक सेवा–चाकरी सुखराजजी ने की जिससे प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में ही दिनांक 11.12.1985 को ग्राम पांथेडी की अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पति सुखराजजी को जरिये वसीयतनामा वसीयत कर दी थी जिसके कारण अपीलांट्स ही बछराज की उक्त आराजी का वास्तविक व असली वारिसान् होने से यह अपील पेश की है। म्युटेशन स्वीकृत करने का अधिकार सिर्फ ग्राम पंचायत को ही होता है। म्युटेशन तहसीलदार सायला को स्वीकृत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। म्युटेशन स्वीकृत करने से पहले नियमानुसार फाईल कायम करते हुए सबंधित पार्टियों को नोटिस देकर ,बयानात्, सबूत आदि लेकर नियमो के तहत् म्युटेशन स्वीकृत करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी जो नही की है। यदि ग्राम पंचायत 45 दिन की अवधि में म्युटेशन स्वीकृत नही किया जाता है तो ही तहसीलदार को म्युटेशन स्वीकृत करने का विधिक अधिकार है जबकि उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने में ऐसा नहीं किया गया है। वंशावली में हेमीबाई के घेवरचंद क्या लगता है? बेटा है या पति, जो स्पष्ट नही दर्शाया है तथा हेमीबाई तथा घेवरचंद के मृत्यु प्रमाणपत्र रेकर्ड पर भी नही लिये गये है। तहसीलदार सायला ने ग्राम पंचायत से विधिवत् प्रमाणपत्र मय पंचायत के प्रस्ताव नही लिया और मूल म्युटेशन में भी ग्राम पंचायत पांथेडी के सरपंच के हस्ताक्षर नही है। उक्त म्युटेशन की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 29.11.2017को पटवार हल्का से होने पर मालूम हुआ कि उक्त जमीन पर का नियम विरूद्ध

आगे से आगे बैचान हो चुका है। तब अपीलांट्स ने तहसील कार्यालय सायला में जाकर नकले प्राप्त की ,नकले प्राप्त करने की दिनांक 1.12.2017 से अपील अन्दर म्याद है। अतः ग्राम पांथेडी का नामान्तरकरण सं. 896 दिनांक 5.9.2017 निरस्त करावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा स्थगन प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नामान्तरकरण सं. 896 की प्रमाणित प्रति आदि नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि प्रथम 45 दिन तक नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को है एवं इसके बाद ही तहसीलदार का क्षैत्राधिकार है, इसके समर्थन में आर आर डी फरवरी 2003 पेज सं.67 की नजीर पेश की। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार सायला द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.9.2017 को निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स सं.1से 5 के अभिभाषक ने बताया कि मौजा पांथेडी के वर्तमान खसरा नम्बर 437 रकबा 0.52हेक्टर में बछराज तथा खसरा नम्बर 389,390,391 कुल रकबा 4.73 हेक्टर में से 1/2 हिस्से पर बछराज व जुगराज फौत होने पर उसके कायम मुकाम रेस्पोडेन्ट सं.2 से 5 का नाम दर्ज किया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 द्वारा खसरा नम्बर 437 की भूमि का बैचान होने से नामान्तरकरण सं.897 दिनांक 5.9.17 द्वारा खरीददार रेस्पोडेन्ट सं.1–दिनेशसिंह पुत्र वरदसिंह का नाम दर्ज किया गया। तहसीलदार को भी पंचायत के समकक्ष ही म्युटेशन भरने का अधिकार है जिससे तहसीलदार द्वारा म्युटेशन भरने मात्र से ही निरस्त नही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट सं. 1से 5 के वकील ने 2016 डी.एन.जे.(रेवेन्यू)154 की नजीर पेश की।अपीलांट्स ने अपील में बछराज की अचल सम्पति वसीयत के आधार पर उनके भाणेज सुखराज जो अपीलांट्स के पिता है,का हक है तो उसके लिए वह दावा ही कर सकता है, म्युटेशन को चैलेन्ज नही किया जा सकता है।अपीलांट ने अपने अधिकार तय करने के लिए एस.डी.ओ.

सायला के न्यायालय में धारा 88,188,53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा सं. 3/2018 कर रखा है जो विचाराधीन है, अतः यह अपील चलने योग्य नही हैं। रेस्पोडेन्ट्स सं.1 से 5 के वकील ने 2015 डी.एन.जे. (रेवेन्यू)202,2010 आर आर डी 148,2011 आर आर डी 795, 2017 आर आर डी 595 की नजीरे पेश की । अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया । मौजा पांथेडी के वर्तमान खसरा नम्बर 437 रकबा 0.52 हेक्टर बछराज,जुगराज पुत्र छोगाजी जैन के नाम से व खसरा नम्बर 389,390,391, कुल रकबा 4.73 हेक्टर में से 1/2 हिस्सा बछराज पुत्र छोगाजी जैन के नाम से रैकार्ड में दर्ज था। नामान्तरकरण सं. 889 के जरिये खसरा नम्बर 437 में बछराज के स्थान पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का नाम व खसरा नम्बर 389,390,391 कुल रकबा 4.73 हेक्टर में से 1/2 हिस्से पर बछराज पुत्र छोगाजी के स्थान पर रेस्पोडेन्ट सं.2 से 5 का नाम दर्ज हुआ जो म्युटेशन दिनांक 10.7.17 को तहसीलदार सायला द्वारा स्वीकृत किया गया, रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 ने खसरा नम्बर 437 में से भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट सं.1 को किया गया है, नामान्तरकरण सं.896 दिनांक 5.9.17 से रेस्पोडेन्ट सं.2से 5 के स्थान पर रेस्पोडेन्ट सं.1 का नाम दर्ज हुआ है। जबकि नामान्तरकरण पर वंशावली में छोगालाल के फौत होने पर उसके वारिसान् बछराज,जुगराज को अविवाहित फौत होना बताया है तथा पुत्री हेमीबाई के फौत होने पर इसके वारिसान् रेस्पोडेन्ट सं.2 से 5 को बताकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जबकि अपीलांट्स द्वारा अपील में बताई गई छोगालाल की शेष रही एक पुत्री ढेलीबाई (फौत)को नामान्तरकरण में कही उल्लेख नही है तथा उक्त ढेलीबाई के वारिसान् है या नही? अपील मे स्पष्ट अंकित नही है। हेमीबाई के फौत होने के बाद केवल घेवरचंद को ही फौतगी नामान्तरण में वारिसान् बताया हैं जबकि हेमीबाई के घेवरचंद के अलावा चार ओर पुत्र सुखराज,बाबुलाल,सांकलचंद, किशोरमल भी होना अपीलांट्स ने अपील मे बताया है जिनके बारे में नामान्तरकरण में कोई उल्लेख नही है।

अपीलांट्स ने अपील में अन्य खातेदार जबरसिंह,नकलसिंह,छोगसिंह, छैलसिंह, नरपतसिंह पुत्र सुजानसिंह को पक्षकार नही बनाया गया है।

अपीलांट्स वकील ने बताया कि बछराज के भाणेज सुखराज को वसीयत के आधार पर हक प्राप्त है तथा माननीय राजस्व मण्डल के निगरानी अनवान जुगराज मृतक के वसीयत भंवरलाल बनाम जुगराज मृतक के कायम मुकाम वसीयत के आधार पर सुखराज आदि, निर्णय दिनांक 21.3. 90 में भी उक्त वसीयत को उल्लेखित किया हैं लेकिन रैकार्ड पर हमारे समक्ष ऐसी कोई वसीयत प्राप्त नही हुई है। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 21.3.90 में यह भी बताया हैं कि नामान्तरकरण तो

केवल एक आर्थिक दृष्टि से राजस्व प्राप्त करने के लिए की गई पद्धति है, प्रार्थी यदि अपना अधिकार समझता है तो उसके लिए नियमानुसार दावा कर सकता है और प्रार्थी की निगरानी निरस्त की गई है।

रेस्पोडेन्ट सं.1से 5 के वकील ने बताया कि तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण में अवैधानिकता नही है,रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वकील द्वारा प्रस्तुत 2016 डीएनजे रेवेन्यू 154 इसमें लागू होती हैं। इसके अलावा रेकर्डेड खातेदार का नाम उन्हे सुने बिना नही हटाया जा सकता,वाद से ही हक हकूको का निर्धारण होता है ,नामान्तरकरण से नही। रेस्पोडेन्ट सं.1 से 5 के वकील ने इनके समर्थन में 2015 डीएनजे रेवेन्यू 202, 2010 आरआरडी 148,2011 आर आर डी 795, 2017 आरआरडी 525 की नजीरे पेश की जो इसमें लागू होती है।

अपीलांट्स वकील ने बताया कि नामान्तरकरण के सबंध में प्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत का अधिकार है उसके बाद तहसीलदार का अधिकार है, लेकिन तहसीलदार सायला ने प्रथम 45 दिन मे ही म्युटेशन स्वीकृत कर दिया जो गलत हैं। अविवादित नामान्तरकरण के सबंध में अधिकार 45 दिन तक (जो कि अब 30 दिन है),ग्राम पंचायत को दिये गये है और तहसीलदार के अधिकार 45 दिन तक रोक दिये गये है लेकिन 45 दिन के बाद ये अधिकार स्वतः ही तहसीलदार को वापिस प्राप्त हो जाते है। ग्राम पंचायत को 45 दिन में पेश नही करना अनियमिता अवश्य प्रकट होती है लेकिन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई विधि विरूद्ध कार्यवाही की हो जिससे नामान्तरकरण शून्य हो जाता है,प्रकट नही होता ह। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(1)के प्रावधान जो तहसीलदार को ऐसे नामान्तरकरण खोलने में मूल सक्षम अधिकारिता प्रदान करते है, उसके विरूद्ध भी इस नामान्तरकरण की कार्यवाही नही पाई जाती है।

अपीलांट का उपखण्ड अधिकारी ,सायला के न्यायालय में इसी खसरा न 437,389,390,391के सबंध में धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा सं. 3/2018 , मदनलाल बनाम मनोहरलाल वगैराह विचाराधीन हैं। जब दावा विचाराधीन चल रहा हो तब नामान्तरकरण सबंधी समरी कार्यवाही को स्थगित रखी जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही होने से अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सायला के आदेश दिनांक 5.9.2017 (ना.क.सं.896) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती

है व निर्देश दिये जाते हैं कि उपखण्ड अधिकारी सायला के न्यायालय के वाद सं.3/2018 में अधिकारों के विनिश्चियन के अनुरार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाये। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 25.4.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर